::: कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ0ग0) :::

/ /आदेश/ /

क्रमांक– 100 /दो–12–10/2014 कोण्डागांव, दिनांक 22.01.2024

सिविल जिला कोण्डागांव में चयन समिति, जिला न्यायालय कोण्डागांव छ0ग0 के द्वारा भृत्य (भृत्य+फर्राश+दफ्तरी–कम–फर्राश) के पद हेतु प्रेषित चयन सूची के अनुसार नीचे लिखे चयनित अभ्यर्थियों को भृत्य (भृत्य+फर्राश+दफ्तरी–कम–फर्राश) के पद पर छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के लेवल–1 वेतनमान 15600–49400 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

कमांक	अभ्यर्थियों का नाम व पता
01	श्री लक्ष्मीकांत पिता स्व. श्री सुकुराम बघेल, पता–म0नं0 48 वार्ड नं0 04, ग्राम सुकुरपाल पोस्ट जोबा, तह0 व जिला–कोण्डागांव छ0ग0 पिन–494226
02	श्री विनोद कुमार पिता श्री धरमसाय, पता–ग्राम लेमड़ी, पोस्ट मुलमुला, तह0 व जिला कोण्डागांव छ0ग0, पिन–494226
03	श्री धनेश्वर कोर्राम पिता श्री दुर्जन, पता–ग्राम काकड़गांव पटेलपारा पोस्ट दहिकोंगा तह0 व जिला–कोण्डागांव छ0ग0 पिन–494226
04	श्री अर्जुन पिता श्री रामप्रसाद, पता–ग्राम कोलियारीडिही बड़बत्तर पोस्ट जोड़ेकेरा, तह0 बड़ेराजपुर, जिला–कोण्डागांव छ0ग0, पिन–494228
05	कु0 दिनेश्वरी पिता श्री झीरूराम कश्यप, पता–ग्राम पुसावंड प्लाटपारा पोस्ट दहिकोंगा, तह0 व जिला–कोण्डागांव छ0ग0, पिन–494226
06	श्रीमती ममता पति श्री बिसनूराम दुग्गा, पता–ग्राम चितालंका कोटवारपारा, पोस्ट+तह0+थाना–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ0ग0 पिन–494449

शर्तें–

1- नियुक्त कर्मचारी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे।
2. नियुक्त कर्मचारी आज्ञाकारिता में उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा रखेगा।

3. नियुक्त कर्मचारी 15 दिवस के भीतर अपना कार्यभार आवश्यक रूप से ग्रहण करेगा। उक्त अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह माना जावेगा कि उक्त पद पर कार्य करने का आवेदक इच्छुक नहीं है तथा उक्त दशा में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

4- नियुक्त कर्मचारी को अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो आपके जिले के हो अथवा जिला कोण्डागांव के हो से प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

5- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात यदि स्थायी पद उपलब्ध होगा तो स्थायी किया जावेगा। अन्यथा आपकी सेवाएं अस्थायी तौर पर निरन्तर आगामी आदेश तक जारी रहेगा। परीवीक्षा में आपकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

6- कार्यभार ग्रहण करते समय अपने सम्पूर्ण दस्तावेज जो आपने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया है, की मूल प्रति एवं उनकी एक–एक छायाप्रति स्व–प्रमाणित कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेज से भिन्न अथवा असत्य पाई जाती है तो यह नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त माना जावेगा।

7- चरित्र सत्यापन में यदि आपको सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो आपकी शासकीय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

8. किसी भी पक्ष द्‌वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

9- आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आगे की शिक्षा बिना पूर्व अनुमति के ग्रहण नहीं किया जावेगा। यदि आपको कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् बिना पूर्व अनुमति के शिक्षा ग्रहण करने का दोषी पाया जावेगा तो आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

10- शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र किसी भी समय असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर आवेदक की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही आवेदक के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जावेगी।

11- आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् बिना अनुमति के किसी अन्य शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय एवं अन्य कोई संस्था में सीधे नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावेगा। यदि आपके द्वारा बिना पूर्व अनुमति के ऐसा कृत्य किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

12- यदि कार्यभार ग्रहण के उपरांत किसी कारण से आप शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो एक माह पूर्व लिखित में सूचना कार्यालय को देनी होगी। अथवा एक माह की कालावधि की सूचना के बदले एक माह का वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि चालान के माध्यम से जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उक्त राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।

13- आपके कार्य व्यवहार एवं आचरण के बारे में संबंधित पीठासीन न्यायाधीश / प्रभारी अधिकारी से शिकायत प्राप्त होने की दशा में आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

14- आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। आपकी जाति प्रमाण पत्र समुचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है एवं सत्यापन कराये जाने पर यदि आपका दावा झूठा प्रमाणित होता है तो आपकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आपके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।

15- आपकी पदस्थापना जिला न्यायालय कोण्डागांव के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय / अनुभाग में की जा सकती है।

22.01.2024
(उत्तरा कुमार कश्यप)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक– 165 / दो–12–10 / 2014 कोण्डागांव, दिनांक 22 .01.2024

प्रतिलिपि–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बस्तर संभाग, जगदलपुर (छ0ग0),
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोण्डागांव (छ0ग0),
4- पुलिस अधीक्षक, जिला–कोण्डागांव (छ0ग0),
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय–कोण्डागांव (छ0ग0),
6- लेखापाल कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव (छ0ग0),
7- श्री लक्ष्मीकांत पिता स्व. श्री सुकुराम बघेल, पता–म0नं0 48 वार्ड नं0 04, ग्राम सुकुरपाल पोस्ट जोबा, तह0 व जिला–कोण्डागांव छ0ग0 पिन–494226।
8- श्री विनोद कुमार पिता श्री धरमसाय, पता–ग्राम लेमड़ी, पोस्ट मुलमुला, तह0 व जिला कोण्डागांव छ0ग0, पिन–494226।
9- श्री धनेश्वर कोर्राम पिता श्री दुर्जन, पता–ग्राम काकड़गांव पटेलपारा पोस्ट दहिकोंगा तह0 व जिला–कोण्डागांव छ0ग0 पिन–494226।
10- श्री अर्जुन पिता श्री रामप्रसाद, पता–ग्राम कोलियारीडिही बड़बत्तर पोस्ट जोड़ेकेरा, तह0 बड़ेराजपुर, जिला–कोण्डागांव छ0ग0, पिन–494228।
11- कु0 दिनेश्वरी पिता श्री झीरूराम कश्यप, पता–ग्राम पुसावंड प्लाटपारा पोस्ट दहिकोंगा, तह0 व जिला–कोण्डागांव छ0ग0, पिन–494226।
12- श्रीमती ममता पति श्री बिसनूराम दुग्गा, पता–ग्राम चितालंका कोटवारपारा, पोस्ट+तह0+थाना–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ0ग0 पिन–494449।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22.01.2024
(उत्तरा कुमार कश्यप)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव (छ0ग0)